



लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग



विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फ़ैक्स : +91-612-250 4980 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक: BRLPS/LSBA/Proj/104/19/893

दिनांक: 07/12/19

प्रेषक,

बालामुरुगन डी०, भा०प्र०से०,
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
बिहार ।

विषय: लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत बेसलाईन सर्वे एवं LOB से छूटे हुए घरों को NOLB - No one left Behind (Universal Coverage) की सूची दर्ज कर राज्य के शत-प्रतिशत घरों को शौचालय से आच्छादित किये जाने के संबंध में ।

प्रसंग: इस कार्यालय का पत्रांक BRLPS/LSBA/Proj/104/19/868 दिनांक 25.11.2019.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत शौचालय आच्छादन के अंतर को आच्छादित करने हेतु विभागीय पत्रांक 868 दिनांक 25.11.2019 के संबंध में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुमति के आलोक में दिनांक 31.12.2019 तक NOLB अंतर्गत सभी योग्य श्रेणी के घरों, जो पूर्व में शौचालय आच्छादन से छूट गये थे (बेसलाईन सर्वे एवं LOB सहित) को जोड़े जाने हेतु आवश्यक समय-सीमा निर्धारित किया गया है । उपरोक्त NOLB अंतर्गत जोड़े गये सभी घरों/परिवारों को 10 फरवरी, 2020 तक शौचालय से आच्छादित किये जाने की समय-सीमा निर्धारित की गयी है ।

अतः अनुरोध है कि उक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें ताकि लक्षित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके ।

विश्वासभाजन

(बालामुरुगन डी०)

जापांक : BRLPS/LSBA/Proj/104/19/893

दिनांक : 07/12/19

प्रतिलिपि : सभी निदेशक-सह-सदस्य सचिव/उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(बालामुरुगन डी०)

